

ध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरंरा हिल्स, भोपाल

क्र./1792 /एनआरईजीएस-म.प्र./स्था./एनआर-2/10
प्रति,

भोपाल दिनांक 26.02.10

कमिश्नर,
संभाग.....(समस्त)

विषय :- मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत संविदा अमले के स्थान परिवर्तन करने विषयक।

- संदर्भ -**
1. परिषद मुख्यालय का पत्र क्र. 585 दिनांक 30.03.2007।
 2. परिषद मुख्यालय का पत्र क्र. 1690 दिनांक 25.03.2008।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र में उल्लेखित किया गया है कि परिषद के अमले के स्थान परिवर्तन के अधिकार परिषद मुख्यालय में निहित है। परिषद मुख्यालय के अनुमोदन के उपरांत ही स्थान परिवर्तन का आदेश जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा जारी किया गया जाता है। यदि कमिश्नर/कलेक्टर अपने स्वविवेक पर एनआरईजीएस अंतर्गत पदस्थ अमले के स्थान परिवर्तन आदेश जारी करते हैं तो ऐसे स्थान परिवर्तन आदेश नीति संगत न होने के कारण परीक्षण उपरांत निरस्त करने की स्थिति बन जाती है।

अतः निवेदन है कि परिषद मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. 1 एवं 2 के अनुसार ही कार्यवाही की जावें।



(रश्मि अरुण शमी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र./ 1793 /एनआरईजीएस-म.प्र./स्था./एनआर-2/10
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 26.02.10

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला (समस्त)की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल